कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक:..... दिनांक– 19/05/2025

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

विषयः दी सन साइन सेंट्रल एकेडमी पचइपट्टी, मखदुमपुर, सादात गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक 1668/आ.लि./2025 दिनांक 06.05.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रांक के अनुपालन में दी सन साइन सेंट्रल एकेडमी, पचइपट्टी, सादात, गाजीपुर हेतु जाँचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

अधाशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.पि.विभाग
गाजीपुर।

पत्रांक : 1843/9-कम्प दिनांक : 19/05/-

प्रतिलिपि, दी सन साइन सेंट्रल एकेडमी, पचइपट्टी, सादात, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधाशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.पि.विभाग
गाजीपुर।

विद्यालयों में सुरक्षा दिशानिर्देश अनापत्ति (N.O.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चैकलिस्ट
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम - [illegible]

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी मानकों हेतु बिन्दु	जांच संख्या
	भवन की जानकारी	
1	क्या भवन का मानचित्र पीडब्लूडी / डीडीए से स्वीकृत है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्वीकृत नक्शा / पार्किंग / सहायक अग्निशमन द्वार उपलब्ध है ?	हाँ
3	क्या भवन की सीमा से सम्बन्धित रोड है ?	मेन रिहाइड रोड
4	मेन भवन हेतु पहुँच मार्ग की चौड़ाई (Width) 7.50 मीटर (1500 मि.मी.) है ?	14.71 मी. की.
5	क्या भवन का मार्ग पर 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में बाहर पार्किंग का उपयुक्त स्थान है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग की जाती है ?	हाँ / नहीं
7	क्या भवन का लिफ्टेड/स्टेयर प्लेन है जिस पर्याप्त पर्व कुल का उपयोग है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की औसत चौड़ाई 12 मीटर है ?	3.00 मीटर
9	क्या भवन को फा N.O.C. ली गयी है ? यदि नहीं तो क्या विद्यालय ने आवेदनकर्ता प्राधिकरण से प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया ?	डार.सी.सी. छत है
10	क्या भवन में दीवारें ईंट/पत्थर की चिनाई मसाले से बनी है ?	हाँ
11	क्या भवन की छतें / फर्श में सेफ है ?	नहीं
12	क्या सीढ़ी की चौड़ाई न्यूनतम 1.20 मी. (कुल सीढ़ी में 3.0 मी.) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (मार्ग द्वार/निकास द्वार) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हाँ
14	क्या विद्यालयों का विभाजन आग से रोकने वाली दीवारों का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? विद्यालयों में सीढ़ी का प्रयोग भी सही किया गया है ?	हाँ / नहीं (लिखें) / कोमेन्ट हो
15	क्या छत में स्थायी रेलिंग है ?	हाँ
16	क्या सीढ़ी की चौड़ाई न्यूनतम मान (कम से कम 1.0 मी. कुल 3.0 मी.) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन छोड़ने की अधिकतम दूरी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कक्ष (क्लास) का प्रावधान है ?	लागू नहीं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में सीढ़ी की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., एवं 300 मिमी. क्या राइजर 150 मिमी. है ?	लागू नहीं
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) स्थापित किया गया है ?	हाँ
20	क्या भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों / कर्मचारियों को आग-बचाव का अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में आपातकालीन स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बक्सा (First Aid Box) उपलब्ध है ?	हाँ

[illegible]